उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-35/2015/1952/92-1-2015-16(अधि0)/2015,
लखनऊ: दिनांक: 28 अप्रैल, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री अनिल कुमार सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर को सम्यक् विचारोपरान्त जनहित/शासकीय कार्यहित में अपने मूल पद के कार्यो एवं दायित्वों के साथ-साथ काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों तक के लिये अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बहराइच के पद के कार्यो एवं दायित्वों का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में निर्वहन किये जाने हेतु एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री अनिल कुमार सक्सेना को अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

2- श्री अनिल कुमार सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बहराइच का कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना शासन को उपलब्ध करायें।

3- शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3178/92-2014-42(अधि0)/2014, दिनांक 15-7-2014 द्वारा श्री रियाज अहमद सिद्दीकी, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बहराइच का दिया गया अतिरिक्त प्रभार एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है।

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव।

संख्या-35/2015/1952(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियंता (पूर्वी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- श्री अनिल कुमार सक्सेना, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलरामपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- श्री रियाज अहमद सिद्दीकी, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in